



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813/ 6207419016

पत्रांक : 01/यो0ब0-20/2025- 444

दिनांक : 23/07/2026

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/ गुमला वन प्रमंडल, गुमला/ खूँटी वन प्रमंडल, खूँटी/ सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा/ लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/ सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला/ जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/ दुमका वन प्रमंडल, दुमका/ साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/ जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/ पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/ लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुर्नजनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु **रु0 118.12 लाख (एक करोड़ अठारह लाख बारह हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-33/2020-22/स्वी0 व0प0 दिनांक 17.10.2025 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0-33/2020- 61 TSP व0प0 दिनांक 08.07.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 118.12 लाख (एक करोड़ अठारह लाख बारह हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179640010103	99.62
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179640010323	18.50
कुल :-		118.12

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक-2** पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

[Signature]

3. इस योजना का कोड संख्या—19S24060179640010103 एवं 19S24060179640010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।
5. इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे० लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाएगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाएगा।
- 6.. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूंटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोड़कर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।
8. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक—2561 दिनांक—17.04.1998, पत्रांक—1800/वि० दिनांक—15.07.2003 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
13. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे।

14. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर online video conferencing इत्यादि के माध्यम से किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टॉकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

15. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2025-26 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

16. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य किये जायेंगे।

(VI) योजना का ब्यौरा विभागीय JOHAR पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय।

(VII) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक/डाकघर खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VIII) बैंक/डाकघर स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(IX) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(X) कंडिका- IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(X) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

17. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके

लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

21. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

24. ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वितीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

25. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

26. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त नियमावली, कोषागार संहिता एवं वित्त विभाग से समय-समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

27. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

28. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 4/यो0ब0-24/2022-2517 दिनांक-24.06.2026 के अनुसार योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-20/2025- 444 दिनांक- 23/07/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/ मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ दुमका/ देवघर/ मेदिनीनगर/ पी0 एम0 यू0 सेल, योजना अंचल, राँची/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-20/2025- 444 दिनांक- 23/07/2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ गुमला/ खूँटी/ सिमडेगा/ लोहरदगा/ सरायकेला/ जमशेदपुर/ दुमका/ साहेबगंज/ जामताड़ा/ पाकुड़/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू-संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे० वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु० 468 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)					
क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			7675.20	1425.00	9100.20
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची	100	7.67	1.43	9.10
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	150	11.51	2.14	13.65
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी	50	3.84	0.71	4.55
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	50	3.84	0.71	4.55
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	180	13.82	2.56	16.38
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	170	13.05	2.42	15.47
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	148	11.36	2.11	13.47
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	50	3.84	0.71	4.55
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	50	3.84	0.71	4.55
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	100	7.67	1.43	9.10
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	150	11.51	2.14	13.65
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	100	7.67	1.43	9.10
कुल योग:-		1298	99.62	18.50	118.12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
शाखण्ड, राँची

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में) :

468.00

कार्य दर प्रति हे०

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2026-27 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 468/-						
1	Presprouted Root-Shoot एवं Poly Tube Seedling स्थाई पौधशाला (न्यूनतम 40 प्रतिशत)	220	5	2340.00	800.00	3140.00	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रु 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी
2	वृक्षारोपण		6.40	2995.20	0.00	2995.20	
3	सामग्री (उर्वरक, कम्पोस्ट खाद)	हे०	0	0.00	625.00	625.00	
4	सिंगलिंग कार्य		5	2340.00	0.00	2340.00	
	योग-		16.40	7675.20	1425.00	9100.20	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-20/2025/444

दिनांक - 23-Jul-2026

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45762	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	767,000.00 रुपये सात लाख सड़सठ हजार
2	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45763	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	1,151,000.00 रुपये ग्यारह लाख इकावन हजार
3	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45764	RNCFORK01 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	384,000.00 रुपये तीन लाख चौरासी हजार

योग: रुपये तेइस लाख दो हजार
क्रमिक योग:

2,302,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	45765	SDGFOR002 SHASHANK SHEKHAR SINGH DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	384,000.00 रुपये तीन लाख चौरासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	45766	LDGFOR001 ABHISHEK KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	1,382,000.00 रुपये तेरह लाख बयासी हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते	45767	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KH ARSAWA 03 - मजदूरी	1,305,000.00 रुपये तेरह लाख पाँच हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये तीरपन लाख तीहत्तर हजार

क्रमिक योग:

3,071,000.00

5,373,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45768	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	1,136,000.00 रुपये ग्यारह लाख छत्तीस हजार
8	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45769	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	384,000.00 रुपये तीन लाख चौरासी हजार
9	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45770	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	384,000.00 रुपये तीन लाख चौरासी हजार

योग: रुपये बहत्तर लाख सित्योत्तर हजार

क्रमिक योग:

1,904,000.00

7,277,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCF DEV JHARKHAND

RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45771	JMTFOR001 RAHUL KUMAR D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	767,000.00 रुपये सात लाख सड़सठ हजार
11	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45772	PKRFOR001 SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	1,151,000.00 रुपये ग्यारह लाख इकावन हजार
12	S 19 24060179640010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Central Scheme : NA	45773	LTRFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO FOREST DIV LATEHAR 03 - मजदूरी	767,000.00 रुपये सात लाख सड़सठ हजार

योग: रुपये निम्नानवे लाख बासठ हजार
क्रमिक योग:

2,685,000.00

9,962,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	45774	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	143,000.00 रुपये एक लाख तीरयालीस हजार
14	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	45775	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	214,000.00 रुपये दो लाख चौदह हजार
15	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	45776	RNCFORK01 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,000.00 रुपये इकहत्तर हजार

योग: रुपये एक करोड तीन लाख नब्बे हजार

क्रमिक योग:

428,000.00

10,390,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	45777	SDGFOR002 SHASHANK SHEKHAR SINGH DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,000.00 रुपये इकहत्तर हजार
17	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	45778	LDGFOR001 ABHISHEK KUMAR DIV.FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	256,000.00 रुपये दो लाख छप्पन हजार
18	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	45779	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KI ARSAWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	242,000.00 रुपये दो लाख बयालीस हजार

योग:

रुपये एक करोड नौ लाख उनसठ हजार

569,000.00

क्रमिक योग:

10,959,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	45780	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	211,000.00 रुपये दो लाख ग्यारह हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	45781	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,000.00 रुपये इकहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	45782	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,000.00 रुपये इकहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड तेरह लाख बारह हजार

353,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

11,312,000.00

ADDL PCCE DEV. JHARKHAND

10.92.23.5

RANCHI

Run Date: 23/7/2026

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	45783	JMTFOR001 RAHUL KUMAR D.F.O. JAMTARA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	143,000.00 रुपये एक लाख तीरयालीस हजार
3	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	45784	PKRFOR001 SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	214,000.00 रुपये दो लाख चौदह हजार
1	S 19 24060179640010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01-सिल्विकल्चरल ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय	45785	LTRFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO FOREST DIV LATEHAR 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	143,000.00 रुपये एक लाख तीरयालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

रुपये एक करोड़ अठारह लाख बारह हजार

500,000.00

11,812,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCE DEV. JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 23/7/2026